



50m/159/2020

SUMMARY TRAIL UNDER SECTION 263 OR 264 OF THE CRIMINAL PROCEDURE CODE

In the court of :- चारुलता दांगी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी न्यायालय सनावद

Case No. _____

Complaint report made on _____

Name and address of the complainant abkari Sanawad

Name parentage, caste, and address of accused

नाम अभियुक्त :- हीकराम पिता बोहरा उम्र 45 वर्ष
निवासी साला तह. सनावद

The offence complained of, and date of, its date of, its alleged commission

आपके विरुद्ध अभियोग है कि आपने दिनांक 18/3/20 को समय 09/00 बजे
आले के पास साला में अपने आधिपत्य में अवैध रूप से बिक्रि अनुज्ञा
18 बवार्ड देशी कोन शराब रखी ?

आपका उक्त कृत्य म0प्र0आवकारी अधिनियम की धारा 34 के अन्तर्गत
दण्डनीय होकर इस न्यायालय के संज्ञान में है। क्या आप उक्त कृत्य को
स्वीकार करते हो अथवा विचारण चाहते हो ?

(चारुलता दांगी)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी

the plea of the accused and his examination (if any)_

अभियुक्त का अभिवाक्य

मुझे अपराध स्वीकार है। मैंने अपने पास 18 बवार्ड देशी कोन शराब रखी थी
नष्ट हो गई। माफ किया जावे।

(हीकराम)

(चारुलता दांगी)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी

हीकराम

the offence proved if any, and in case under clause (d) clause (e) clause (f) or clause (g) of Section 260 the value of the property in respect of which the offence has been committed

ARCH				APRIL				SUBORDINATE			01.01.2020		Wednesday	
15	22	29		5	12	19	26	All Sundays	1.	New Year's Day	21.01.2020	Friday		
16	23	30		6	13	20	27	2.	Mahashivratri		09.03.2020	Monday		
17	24	31		7	14	21	28	3.	Holi Holidays		17.03.2020	Tuesday		
				8	15	22	29				25.03.2020	Wednesday		
											2020	Thursday		
											2020	Monday		
											2020			

:: निर्णय ::

(आज दिनांक 20/11/20 को घोषित)

(1) अभियुक्त का विचारण म0प्र0आबकारी अधिनियम की धारा 34-क के अन्तर्गत किया जा रहा है।

(2) अभियुक्त ने स्वेच्छया अपराध करना स्वीकार किया है। अभियुक्त की गई स्वीकारोक्ति पर अविश्वास किये जाने का कोई कारण नहीं है।

(3) अभियुक्त द्वारा स्वेच्छापूर्वक की गई स्वीकारोक्ति के आधार पर म0प्र0आबकारी अधिनियम की धारा 34-क के अपराध में दोषसिद्ध पाए गए अभियुक्त को जमाना है।

(4) अर्थात् अभियुक्त को म0प्र0आबकारी अधिनियम की धारा 34-क के अन्तर्गत न्यायालय उठने तक की सजा एवं रुपये 2000/- (दुई हजार) तक का दंडित किया जाता है। अर्थदण्ड की राशि जमा करने के व्यवहारात्मक पर न्यायालय द्वारा निर्धारित पृथक से सुपवाया जावे।

(5) प्रकरण में जस्तशुदा शराब को विधिवत् नष्ट किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित,
दिनांकित एवं घोषित किया गया।

मेरे बोलने पर घोषित
किया गया।

(चारुलता दांगी)

न्यायिक मजि0 प्रथम श्रेणी, सनावद,
जिला मंडलेश्वर

(चारुलता दांगी)

न्यायिक मजि0 प्रथम श्रेणी,
जिला मंडलेश्वर

254
20/7/20

फौज.

1. District

FIR

D